

# फर्द अहकाम

राजपूत

बनाम गांगैत

घ A/C-II

75/15/2025

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अवलोकन किया गया। मूलानुसंध के निस्तारण तक पादशुस्त आराजीभात को संरक्षित करना उचित समझते हैं, जिसके किपाई बाहुल्यता ना सदे। मता दिनांक 12/10/25 को जारी गंवरिग अखरि निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर उभयपक्षों को मूलानुसंध के निस्तारण तक जारी अखरि निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि पादशुस्त आराजीभात खबर नं० 192, 193, 194 कुल किला 3 कुल रक्का 1.72 हेक्टेयर वाले ग्राम रामनगरिया पटवार डल्का जयपुर जू० अ० मि० जे० बुनिमाना तहकीत सोगनेर जिला जयपुर स्थित के मैडे की असाखिलि अनापे रहे। पत्रवली जैमल बुगार चौक दमि नेबर से कम टोकर इगिखल इफ्टर हो। निर्बंध आज दिनांक 14/10/25 को लिखाया जाकर सरे इजतान मुनाया गया।</p>	

सहायक कलेक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय